Is Multi Currency

Allowed For Fee



eProcurement System Government of India

Tender Details

Date: 01-Jan-2025 04:40 PM

Print

Basic Details						
Organisation Chain	Department of Agricultural Research and Education Indian Council of Agricultural Research,DoARE,MoA CSWRI-Rajasthan - DoARE					
Tender Reference Number	F.No.6(173)SP/2024/					
Tender ID	2025_DARE_842300_1	Withdrawal Allowed	Yes			
Tender Type	Open Tender	Form of contract	Lump-sum			
Tender Category	Works	No. of Covers	2			
General Technical Evaluation Allowed	No	ItemWise Technical Evaluation Allowed	No			
Payment Mode	Offline	Is Multi Currency Allowed For	No			

Allow Two Stage Bidding

<u>Pay</u>	Payment Instruments								
Offlir	ne S.No	Instrument Type	7						
	1	Bankers Cheque							
	2	Demand Draft							
	3	R-T-G-S							
	4	NEFT	1						

No

Cover No	Cover	Document Type	Description
1	Fee/PreQual /Technical	.pdf	 Scanned copy of relevant Firm Registration certificate
		.pdf	Scanned copy of Pan card
		.pdf	3. Scanned copy of GST Certificate. In case, if contractor is not eligible for GST, a certificate is
		.pdf	4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
		.pdf	5. Scanned copy of D.D. E.M.D.
		.pdf	6. Scanned copy non blacklisting certificate (Annexure II)
		.pdf	7. Tender acceptance letter (Annexure I)

No

					2	Finance	.xls		Price Bid
Tender F	ee Deta	ils, [Total	Fee in	* - 0.00	EM	D Fee Detai	ls		
Tender Fee	e in 🗓	0.00				Amount in		FMD F	
Fee Payab	le To	Nil F	ee Payabl	e At N		Amount in	15,000	EMD Exemp	Yes
Tender Fee		No			EMD	Fee Type	fixed	EMD Percer	ntage NA
Exemption	Allowed				EMC	Payable To	ICAR UNIT CSWRI	EMD Payabl	
								Click to view	modification hi
Work /It	em(s)								
Γitle		Regardin contract	g completio basis	n of all types	of gardening	g related work ι	ınder the ga	rden section of	f the institute o
Nork Desc	ription	Regardin contract	Regarding completion of all types of gardening related work under the garden section of the institution contract basis						
Pre Qualific Details	cation	Please re	fer Tender o	documents.					
ndepende Ionitor/Re	nt Extern emarks	nal NA							
Show Tend Public Dom		in Yes							
ender Valu	ue in 🗔	7,50,000		Product Ca	ategory	Job Works	Sub a		
ontract Ty	ре	Tender		Bid Validity(D		180	Sub category Period Of Work(Da		NA vs) 365
ocation		CSWRI A	Village and a second		304501		Pre Bid Meeting Place CSW		
re Bid Mee ddress	eting	CSWRI AV	VIKANGAR	Pre Bid Me	eting Date	13-Jan-2025 11:00 AM	Bid Opening Place		Avikanaga
hould Allo ender	w NDA	No		Allow Pref Bidder	erential	No			Avikanaga
Critical Da	ites								
ublish Date	е		01-Jan-2	2025 05:00 P	M Bid O	pening Date		22.1	
ocument D ate	ownload	i / Sale Star		2025 05:00 P		Document Download / Sale End 22-Jan-2025			025 03:00 PM 025 03:00 PM
arification	Start Da	ite	NA			cation End Da	te	NIA	
id Submiss	ion Start	Date	02-Jan-2	2025 05:00 P				025 03:00 PM	
ender Do	cument	<u>ts</u>							
T								7	
cument		ocument Na ndernotice_1.			Description				Document Size (in KB)
			pui		NIT				673.
ork Item ocuments		ocument Typ		Documen	t Name	De	scription		Document Size (in KB)
		nder Documer	nts	RevisedNIT		NIT			655.5
	2 BC	Ų		BOQ_8853	/0.xls	price bid			283.0

5.No	Bid Opene	er Login Id		Bid Opener	Name		0-46-4-2	
The state of the s		rasad@icar.gov	in	Mahavir Prasa			Certificate Name	
. r	aman.kalas	sua@icar.gov.in	and the second of the second of	Raman Lai Ka	-		MAHAVIR PRASAD	
. s	anjay.shari	ma2@icar.gov.ii	n	Sanjay Sharm			RAMAN LAL SANJAY SHARMA	
				- Jay Silanin			SANJAT SHARMA	
Tender Pro	perties							
uto Tenderin Process allow	•	No	Show Tech	nical bid status		Yes		
ihow Finance tatus	bid	Yes	Stage to dis Public Dom	isclose Bid Details in Technical		Technical Bid (Bid Opening	
oQ Comparat hart model	tive	Normal	BoQ Compa	rtive chart deci	mal	2		
oQ Comparat hart Rank Ty		L	Form Based	BoQ		No		

Tender	Inviting	Authority

Torrest Entriening A	<u>actionty</u>
Name	Director CSWRI Avikangar
Address	Director CSWRI Avikangar

Tender Creator Details

Created By	Mahavir Prasad
Designation	Assistant
Created Date	01-Jan-2025 04:10 PM



भा. कृ. अनु. प. - केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान ICAR - Central Sheep and Wool Research Institute

Avikanagar, Malpura, Rajasthan - 304501
Tel. Nos. +91-1437-220162 / 220 164 FAX: +91-1437-220163
Email: director.cswri@icar.gov.in, cao.cswri@icar.gov.in Web site: www.cswri.res.in



F.No.6(173)SP/2024/

Dated 01-01-2025

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

On behalf of Secretary, ICAR the Director, CSWRI, Avikanagar invites online bids in two bid system for संस्थान के उद्यान अनुभाग के अधीन सभी प्रकार के बागवानी से संबंधित कार्य का अनुबंध के आधार पर सम्पन्न कराने बाबत at ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501. Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	F.No.6(173)SP/2024
Date and Time for issue/Publishing	01-01-2025 at 5.00 PM
Document Download/Sale start date and time	02-01-2025 at 5.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	02-01-2025 at 5.00 PM
Bid Submission End Date and Time	22-01-2025 at 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	23-01-2025 at 3.00 PM
Pre-Bid Metting	13-01-2025 at 11.00 AM
Earnest money	Earnest money Rs.15000.00
Security money	Security money – 5 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State
	Bank of India
	Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer (Store & Purchase),
	C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk,
	Rajasthan, Pin- 304501

Chapter I- Instruction to bidders

- 1. Bids shall be submitted online only at CPPP website: https://eprocure.gov.in/eprocure/app.
- **2.** Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
- **3.** In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
- **4.** The complete bidding process in online. Bidders should be possession of valid digital Signature Certificate (DSC) of class II or III for online submission of bids. Prior to bidding DSC need to be registered on the website mentioned above. For any assistance for e-bidding process, if required bidder may contact to the helpdesk at 01437-220177.
- 5. Tenderer/Contractor/Bidders are advised to follow the instructions provided in the 'Instructions to the Contractors/Tenderer/Bidders for the e-submission of the bids online through the Central Public Procurement Portal for e-procurement at https://eprocure.gov.in/eprocure/app.
- **6.** The Hard Copy of original document in respect of cost of tender document etc. must be delivered to the ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission as mentioned above. The bid without tender fee will be summarily rejected.

- 7. EMD Payment: The bidder shall be required to submit the Earnest Money Deposit (EMD) for an amount of Rs 15,000/- (Rupees Fiften Thousand Only) by way of demand drafts only. The demand drafts shall be drawn in favour of "ICAR Unit, CSWRI, Avikanagar, payable at SBI, Malpura". The EMD of the successful bidder will be return after deposit Security Money and for unsuccessful bidder(s) it would be returned after award of the contract. The demand drafts for EMD must deliver to ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date / time of Bid Submission.
 - a) No request for transfer of any pervious deposit of earnest money or security deposit on payment of any pending bill held by the institute in respect of any previous work will be entertained.
 - b) Tenderer shall not be permitted to withdraw his offer or modify the terms and condition thereof. In case the tenderer fails to observe and comply with stipulation made herein or back out after quoting the rates, the aforesaid amount of earnest money will be forfeited.
 - c) The Tenders without Earnest Money will be summarily rejected.
 - d) The Firm who are registered with National Small Industries Corporation (NSIC) / OR Small Scale Industries (SSI) are exempted to submit the EMD (Copy of registration must be provide along with technical bid)
 - e) No Claim shall lie against the ICAR-CSWRI, Avikanagar in respect of erosion in the value or interest on the amount of EMD.
- **8. Submission of Tender:** The tender shall be submitted online in two part, viz., technical bid and financial bid. All the pages of bid being submitted must be signed and sequentially numbered by the bidder irrespective of nature of content of the documents before uploading.

The offers submitted by Telegram/Fax/Email shall not be considered. No correspondence will be entertained in this matter.

- **9. Technical Bid :** The following scanned documents are to be furnished by the bidders along with Technical Bid as per the tender document:
 - 1. Scanned copy of relevant Firm Registration certificate
 - 2. Scanned copy of Pan card
 - 3. Scanned copy of GST Certificate. In case, if contractor is not eligible for GST, a certificate is required showing his turnover less than Rs.20 lakhs of his claim is to be sustained by documentary evidence like ITR (Income Tax Return), balance sheet, profit & Loss Statement etc.
 - 4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
 - 5. Scanned copy of D.D. E.M.D.
 - 6. Scanned copy non blacklisting certificate (Annexure II)
 - 7. Tender acceptance letter (Annexure I)

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer (P)

Chapter II- Scope of Work

अनुबंध के अंर्तगत किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्न प्रकार हैं :-

- 1. <u>संस्थान परिसर के आवासीय एवं कार्यालय क्षेत्रं, नर्सरी क्षेत्र के पार्कीके सभी लॉन, हैज कटिंग, रोड़ के किनारे लगे पौधो की कटिंग, देखरेख एवं सभी प्रकार की सस्य क्रियाएं के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य का विस्तृत विवरण : -</u>
 - A. <u>नर्सरी क्षेत्र की देखरेख एवं सुरक्षा कार्य</u> :- नर्सरी क्षेत्र (उधान अनुभाग में लगभग , फार्म अनुभाग के सामने ग्रीन हाऊस) फेसिंग के अन्दर का सम्पूर्ण कार्य व आवश्यकतानुसार फेसिंग मरम्मत का कार्य, क्षेत्र की सुरक्षा, बताये अनुसार पौध तैयार करना,सभी प्रकार के वृक्षों, ग्रीन हाउस की रिपेयरिंग, नया ग्रीन हाउस बनाना (मेटेरियल संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा),ग्रीन हाउस की देखरेख एवं सुरक्षा अनुबन्धकर्ता की होगी, साफ सफाई, गमलों की देखरेख, पानी पिलाना, पुताई करना, गमले वाले पौधे तैयार करना,खाद डालना, निराई गुडाई करना तथा कीटनाशकों का प्रयोग करना, अनुबन्ध की अविध प्रतिवर्ष मे 8000 कलमें/बीजों द्वारा पौधे प्रभारी, फार्म अनुभाग /प्रतिनिधि के निर्देशानुसार तैयार करने होगें,इसमें थैलिया भरना, बेड तैयार करना, पानी पिलाना, साफ -सफाई, खाद डालना निराई गुडाई करना तथा कीटनाशकों का प्रयोग करने होगें । सम्पूर्ण नर्सरी क्षेत्र की साफ सफाई प्रति सप्ताह करनी होगी। नर्सरी क्षेत्र, पार्को तथा अन्य स्थानों से फूल वाले पौधो के बीजो को एकत्रित करने का कार्य अनुबन्धकर्ता को करना होगा। नर्सरी तथा पार्को से किसी भी प्रकार का पौधो/फूल प्रभारी फार्मअनुभाग/प्रतिनिधि की अनुमित के बिना नहीं दिया जाये।
 - B. सामुदायिक भवन पर लगे पौधो हैज,लॉन की किटगं,क्यारियों में से कचरा निकालना, क्यारी खोदना,पुरानी लॉन हटाकर नयी लॉन लागाने का कार्य एवं इन सभी की देख रेख,थांवले बनाना,खरपतवार निकालना,पूर्निगं कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग, खाद डालना तथा अन्य सम्बन्धित शस्य क्रियाएं।
 - C. चिल्ड्रनपार्क पर लगे हैज, लॉन की किटगं,नालिया खोदना एवं कचरा बाहर निकालने का कार्य एवं इन सभी की देख रेख, पानी पिलाना, थांवले बनाना, पुरे पार्क में पेवर ब्लॉक एवं अन्य रिक्त स्थान (जहां पर मशीने एवं खेल उपकरण लगे हैं) से खरपतवार एवं अन्य अवांछित पौधे निकालना, पूर्निगं कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग करना खाद डालना तथा अन्य सम्बन्धित शस्य क्रियाएं।
 - D. <u>अरविन्दराय उधान, रोज गार्डन, अतिथिगृह, सभागार एवं पी0जी0 हॉस्टल</u> पर लगे पौधो हैज, लॉन, अशोक की कटिगं का कार्य एवं इन सभी की देख रेख, पानी पिलाना, थांवले बनाना, सभी जगह से खरपतवार निकालना, पूर्निगं किटनाशक दवाईयों का प्रयोग करना खाद डालना तथा अन्य सम्बन्धित शस्य क्रियाएं, अरविंद राय गाईन को बताये अनुसार विकसीत करना (पौधे लगाने एवं रख रखाव का कार्य)।
 - E. कार्यालयसम्ह भवन :-
 - (i) <u>ए०जी० एण्ड बी विभाग/पुस्तकालय भवन :</u> के सामने लगे लॉन, हैज, अशोक, कटिगं का कार्य भवन के साईड़ में अशोक, सहजन, शहतुत एवं अन्य पौधो की बताये अनुसार कटीग़ं एवं इन सभी की देख रेख, पानी पिलाना, थांवले बनाना, खरपतवार निकालना, पूर्निगं कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग करना खाद डालना तथा अन्य सम्बन्धित शस्य क्रियाएं।
 - (ii) <u>अवि स्तम्भ</u>ः के सामने क्यारियों में मौसम के अनुसार फुल/ सजावट/ अन्य बताये अनुसार पौधे लगाना,अशोक कटिंग, पानी पिलाना, क्यारियों में से एवं समस्त प्रक्षेत्रं से खरपतवार निकालना, प्रक्षेत्र में लगे फल वृक्षों की देख रेख (पानी पिलाना,थांवले बनाना,सभी जगह से खरपतवार निकालना,पूर्निगं, किटनाशक दवाईयों का प्रयोग करना खाद डालना तथा अन्य सम्बन्धित शस्य क्रियाएं,बूंद बूंद तथा स्प्रीकलर सिचांई पद्धित की देखरेखतथा चालू कर सिचाई करवारना एवं बन्द करना का कार्य।
 - (iii) <u>एन०पी०बी० भवन</u>: के सामने यूफाँरबिया, हैज, लॉन, अशोक एवं अन्य के पौधो की कटिगं का कार्य एवं इन सभी की देख रेख, क्यारियों में से कचरा निकालना, पानी पिलाना, थांवले बनाना, खरपतवार निकालना, पूर्निगं कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग करना खाद डालना तथा अन्य सम्बन्धित शस्य क्रियाएं।
 - (iv) प्रशासनिक भवन : के सामने बनी वाल क्यारियों, आम के पेड़ पर बनी क्यारी में मौसम के अनुसार फुलवारी लगाना, कटिंग वाले पौधो की कटिंग बनाना, लॉन का रख-रखाव, अशोक कटिंग, खरपतवार निकालना, कचरा निकालना, पानी पिलाना,खाद डालना, कीटनाशक का प्रयोग एवं अन्य ऊधानिकी क्रियाएं।
 - (v) सुरक्षा अनुभाग, उधान ईकाई, फार्म अनुभाग, उपकरण ईकाई, अतिथिगृह, पशु स्वास्थ्य विभाग, टी.एस.पी. सेल, एल.पी.टी. अनुभाग, आई.टी.एम.यु., टी.एम.टी.सी, मानवीय चिकित्सालय, मनोरजन क्लब एवं अन्य : के सामने हैज, लॉन, अशोक तथा अन्य फूल वाले पौधो की कटिंग इत्यादि करनी होगी।
 - (vi) किसान हॉस्टल परिसर में स्थित पेड पोधों व लॉन इत्यादी की सुरक्षा व देख भाल व रख रखाव कार्य भी करना होगा ।
 - मडकों के किनारे लगे पौधों की देखरेख व सुरक्षा कार्य:-

- (i) सभी सड़कों मेन गेट से टाईप 4 (ड़बल स्टोरी तक, कच्चा बंधा (फार्म अनुभाग) से झांसी उप केंद्र कार्यालय तक, पी.जी. हॉस्टल से टी.एस.पी.सेल तक, झांसी उप केंद्र कार्यालय से मानवीय चिकित्सालय तक, कार्यालय भवन समुह के चार दीवारी के बाहर की तरफ चारो ओर) के दोनों किनारों में लगे पौधो को पानी पिलाना, निराई गुड़ाई , खाद डालना, पौधे लगाना कीटनाशकों का छिड़काव करना, बताये अनुसार नियमित रुप से कटाई- छटाई करना, मोटे थांवले बनाना, गैपफिलिंग करना आदि कार्य साथ ही सड़के के किनारे लगे पौधो में हाडेन्ट /नलों व बूंद बूंद सिचाई पद्धित की देखरेख तथा पानी पिलाने का कार्य करना होगा, पौधो को पानी पिलाने से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की लापरवाही होने अथवा पौधो के सुखने पर अनुबन्धकर्ता के बिल में से कटौती कर ली जायेगी।
- (ii) सभी सड़कों के दोनों कच्ची साईड़ दीवार/ फैंसिंग तक अथवा जहां दीवार / फैंसिंग ना हो वहां 20 फीट तक नियमित रुप से खरपतवार/ घास / आकड़े / अन्य अवांछित पौधे इत्यादी रहित होनी चाहिये। (माह में कम से कम दो बार अथवा आवश्यकतानुसार) इनको नियमित रुप से साफ रखना होगा।
- (iii) पेवर ब्लॉक: सभी सड़क के दोनो और लगे पेवर ब्लॉक, कार्यालय भवन समुह के अंदर लगे पेवर ब्लॉक, मेंढा सिर्किल के पास बने फट्वारें पर लगे पेवर ब्लॉक, ऑड़ीटोरियम, प्रर्दशनी भवन एवं अन्य स्थान पर लगे पेवर ब्लॉक मे उगे हुये घास एवं अन्य अवांछित खरपतवार की नियमित सफाई (माह में कम से कम दो बार अथवा आवश्यकतानुसार) करनी होगी।
- G. <u>उधान अनुभाग में ट्रैक्टर से सम्बन्धित किये जाने वाले सभी कार्य जैसे</u> टेंकर द्वारा सडक के किनारे लगे तथा संस्थान पिरसर में लगे अन्य पौधो को पानी पिलाने का कार्य, हैरो कल्टीवेटर, लैवलर, तथा अन्य ट्रेक्टर से सम्बन्धित कार्य (कचरा उठाना, खाद वाले पिट में कचरा गिराना) आवश्यकता पड़ने पर करने होगें ट्रेक्टर की देखरेख, ऑयल , कुलिंग, डीजल समय समय पर संस्थान की कार्य शाला से डलाना होगा लोग बुक को प्रतिदिन भरने का कार्य करना होगा। ट्रेक्टर ड्राईवर का ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति/फोटोकॉपी फार्म अनुभाग एवं क्रय अनुभाग में जमा करानी होगी जिस दिन ट्रेक्टर से सम्बन्धित कार्य नही होगा ड्राईवर को प्रभारी फार्म अनुभाग/प्रतिनिधि द्वारा बताये गये अनुभाग से सम्बन्धित कार्य भी करने होगें । ट्रेक्टर पिन्चर होने पर ट्रेक्टर ड्राईवर को वाहन अनुभाग/वर्कशोप में जाकर शीघ्र पिन्चर निकलवाना होगा तािक कार्य प्रभावित ना हो यदि संस्थान के वर्कशोप में पिन्चर निकलवाया जा सकता है। तािक संस्थान का कार्य प्रभावित ना हो।
- H. **आवासीय भवन** :संस्थान के आवासीय भवनों {टाईप-1, टाईप -2 (सिंगल एवं डबल स्टोरी), टाईप-3 (सिंगल एवं डबल स्टोरी), टाईप-4 (सिंगल एवं डबल स्टोरी), टाईप-5, निदेशक आवास (टाईप -6)- में लगे हुये लॉन एवं हैज कटिंग का कार्य (माह में एक बार)।
- ।. अन्य नियमित कार्य : -
 - (a) अशोक किटंग :- आवासिय परिसर, रोड़ के आस पासएवं अन्य क्षेत्र में लगे अशोक वृक्ष की किटींग / लोपिंग़ का कार्य प्रभारी फार्म अनुभाग / प्रतिनिधि के अनुसार कार्य करना होगा।
 - (b) पानी की टंकी भरना एवं पानी चालु करना : ब्लॉक 8 में स्थित ई टी ओ/टयूबवैल को स्वंय अनुबन्धकर्ता द्वारा चलाकर सैक्टर नं0 12 की टंकी को नियमित रूप से प्रतिदिन भरनी होगी, पानी खोलना होगा, ट्युव वेल खराब होने पर या अन्य समस्या होने पर संबंधित विभाग में शिकायत लिखनाएवं प्रभारी फार्म अनुभाग / प्रतिनिधि को अवगत करवाने का कार्य ।
 - (c) बुंद-बुंद सिंचाई प्रणाली का रख-रखाव संस्थान में रोड़ के किनारे, कार्यालय भवन समुह प्रक्षेत्र में लगी बुंद-बुंद सिंचाई प्रणाली का आवशयकतानुसार चालु करना, बंद करना, रख- रखाव, 6 इंच जमीन में गाइना इत्यादी कार्य।
 - (d) गमलों के रगं रोगन कार्य :- सभी कार्यालय परिसर, नर्सरी में रखे गमलों को कलर करने का कार्य (एक वर्ष में दो बार)।
 - (e) फार्म अनुभाग द्वारा बाहर से क्रय किये गये पौधों को नर्सरी अथवा बताये गये स्थान पर उतारने का कार्य।
 - (f) कचरा निस्तारण : लॉन, हैज, अशोक कटिग़ं, खरपतवार से संबंधित कचरे को प्रभारी फार्म अनुभाग / प्रतिनिधि के बताये अनुसार अलग-अलग कर विभीन्न सेक्टरो पर बनाये गये खाद पिट में एवं अनुपयोगी कचरे को बताये गये निर्धारित स्थान पर झलने का कार्य ।
 - (g) थावलें बनाना एवं चुना झलना : सड़क किनारे लगे पौधों के मोटे थांवले बनाना एवं उस पर चुना एवं अन्य झलना, बनाये गये थांवलों की रिपेयरिंग का कार्य इत्यादी
 - (h) बुके बनाना : आवश्यकतानुसार प्रभारी फार्म अनुभाग/ प्रतिनिधि अथवा निदेशक महोदय के निर्देशानुसार बुके बनाने का कार्य करना होगा। इसके लिये फुल अथवा अन्य सामग्री संस्थान में से एवं पेपर, टेप एवं अन्य सामग्री संस्थान द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।
 - (i) उधानिकी से संबंधित अन्य बताये गये कार्य।

- 2. संस्थान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों : संस्थान द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम जैसे भेड़ मेला, संस्थान स्थापना दिवस, सेमिनार, स्वन्त्रता दिवस, गणत्रंता दिवस, वी.आई.पी. विजीट एवं अन्य के दौरान निम्म प्रकार से कार्य किये जाने हैं:-
 - (a) **झण्डे लगाना** :संस्थान के मेन गेट अथवा बताये गये स्थान से सड़क के किनारों पर, कार्यक्रम स्थल पर झण्डे (बड़े एवं छोटे) लगानाकार्यक्रम के पश्चात उनको हटाना, समेटकर वापस यथा स्थान रखना। झण्डों के पाइपों के कलर (ऑयल पेंट) करना इत्यादी।
 - (b) गमले : नर्सरी से गमले भरकर कार्यक्रम स्थल पर रखना, कार्यक्रम के पश्चात उनको वापस यथा स्थान पर रखना।
 - (c) साफ- सफाई: कार्यक्रम स्थल एवं उसके आस-पास के क्षेत्रं, मैन गेट से अतिथिगृह चौराहा, चौराहे से प्रशासनिक भवन समुह, अवि स्तम्भ, टी0एम0टी0सी0 विभाग, अतिथिगृह चौराहा से ओडिटोरियम तक सड़क के दोनों ओर समारेाह से पूर्व सफाई करना (खरपतवार निकालना), पेवर ब्लॉक में से खरपतवार / घास इत्यादी निकालना, आवश्यकता होने पर थावले बनाना / रिपेयर करना, थावलों पर चुना/ रगं झलना एवं अन्य कार्य।
 - (d) **सजावट** : कार्यक्रम स्थल / ऑड़ीटोरियम के स्टेज पर माला (कृत्रिम फुल / ताजा फुल) से सजावट, चुने की लाईनिंग, पार्किंग की लाईनिंग करना एवं अन्य कार्य।
 - (e) पेड़ो की पुताई : कार्यक्रम स्थल एवं उसके आस-पास के क्षेत्रं, मैन गेट से अतिथिगृह चौराहा, चौराहे से प्रशासनिक भवन समुह, अवि स्तम्भ, टी0एम0टी0सी0 विभाग, अतिथिगृह चौराहा से ओडिटोरियम तक सड़क के दोनों ओर समारेाह से पूर्व पेड़ो की पुताई करना। अन्य समाहरों से सम्बन्धित कार्य अनुबन्धकर्ता को करने होगें।
 - (f) समारोह से संबंधित अन्य कार्य : अनुबंधकर्ता को समारोह में उधानिकी से संबंधित अन्य कार्य करने होंगें।

3. हरे बडे वृक्षों की पुर्निंग /हैवी लूपिंग /कटाई - छटाई तथा तूफान या अंधड़ में गिरने वाले सूखे पेंडों को हटाना -

- i. संस्थान परिसर में सभी कार्यालय भवनों के आस पास तथा आवासीय भवनों को नुकसान करने वाले या किसी प्रकार की जनहानि करने वाले हरे बडे वृक्षों की पुर्निंग/हैवी लुपिंग / एक्स्ट्रा हैवी लोपिंग / कटाई छंटाई कार्य करना। लोपिंग के पश्चात मोटी लकडी को बताये अनुसार टुकड़े करना (लगभग 2 फीट) तथा झासड़ी को अलग कर बताये गये स्थान पर झालने का कार्य।
- ii. तूफान /अंधड़/ अथवा अन्य कारणो से गिरने वाले कार्यालय भवनों, आवासीय भवनों तथा सड़क अवरूध करने वाले सूखे वृक्षों को हटाना, मोटी लकडी को बताये अनुसार टुकड़े करना (लगभग 2 फीट) तथा झासड़ी को अलग कर बताये गये स्थान पर झलने का कार्य ।
- iii. उपरोक्त कार्य में लगने वाले श्रमिक तथा औजार स्वयं अनुबन्धकर्ता के होगें संस्थान के द्वारा केवल ट्रेक्टर ट्रोली उपलब्ध करवाई जायेगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी बडे वृक्षों की पुर्निग/हैवी लुपिंग/कटाई छंटाई कार्य सम्बन्धित कार्यालय प्रभारी/आवासीय कोलोनी के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा लिखित में अनुरोध करने पर प्रभारी फार्म अनुभाग / प्रतिनिधि को अवगत करा उनकी अनुमति से करवाना होगा। आवासीय भवन/कार्यालय को किसी प्रकार की क्षति/नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता को करनी होगी।
- 4. वर्षा ऋतु में सडकों, कार्यालय भवनों के आस पास खरपतवारों सफाई का कार्य: संस्थान के मेंन गेट से अतिथिगृह चौराहा, अतिथि ग्रह चौराहे से फार्म अनुभाग तक रोड़, फार्म अनुभाग कार्यालय, सामने लॉन के चारो तरफ, पी.जी. हॉस्टल से पशु स्वास्थ्य विभाग से उधान अनुभाग तक रोड़, पशु स्वास्थ्य विभाग, एल.पी.टी, आई. टी. एम यु., गैस गोदाम, टी0एम0टी0सी0 के चारो तरफ 15 फीट, कैन्टीन क्षेत्र, विद्युत अनुभाग, शियरिंग शैड, पी0जी0 हॉस्टल के अन्दर बाहर, ओडिटोरियम के चारों तरफ, ऑडीटोरियम एवं अतिथि गृह के पास खाली जगह, प्रदंशनी भवन का पुरा क्षेत्र, अतिथिगृह के चारों तरफ, अरविन्दराय गार्डन, रोज गार्डन के चारों ओर, अतिथिगृह चौराह से 09 नम्बर की पुलिया तक सडक के दोनो ओर दीवार/फैनसिंग तक कि सफाई, कार्यालय समृह (प्रशासनिक, एन.पी.बी, ए.जि.&बी भवन) अवि स्तम्भ के चारों तरफ,चार दीवारी के अन्दर के सम्पूर्ण क्षेत्र, अतिथि गृह चौराहे से टाईप- 3 (सिंगल स्टोरी, भेड़ सेक्टर 12 कि तरफ), झांसी ऑफिस तिराहे से आवासीय क्षेत्र में सभी कवाटरों (टाईप 1 से टाईप- 6 सिंगल स्टोरी व डबल स्टोरी) की रोड़ के दोनो तरफ 15 फीट, सामुदायिक भवन, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, मानवीय चिकित्सालय, सभी पार्कों, खेल मैदान, चारों और सभी आवासीय कोलोनी के बीच के खाली मैदान, सडकों के दोनो तरफ की दिवार/फैसिंग तक जहां पर दिवार/फैसिंग नहीं है वहां सडक के 15 फीट तक की सफाई कार्य तथा सभी प्रकार के आवासीय भवनो के बीच में खाली जगहों/गिलयों की खरपतवार, पेडों की डालियों दिवारों पर चढी हुई बेले तथा अन्य लकड़ियों डालियों सभी को फावड़े, खुरपियों, कुल्हाड़ी (ट्रेक्टर का उपयोग अगर आवश्यक हुआ तो प्रभारी फार्म के निर्देशानुसार) से सफाई का प्रथम कार्य माह सितम्बर व द्वितीय सफाई कार्य दिपावली से पूर्व नवम्बर) में अलग अलग प्रभारी फार्म अनुभाग/प्रतिनिधि के निर्देशानुसार पूरा करना होगा।

- a. उपरोक्त सारणी में दर्शायें गये कार्यों को आंशिक तौर पर पूर्ण नहीं करने पर आन्पातिक कटौती की जा सकती है।
- 6. अन्बन्ध कार्य की नियम व शर्ते :-
- 1. अनुबन्ध की अविध कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी, जिसे संतोषप्रद कार्य होने पर सक्षम अधिकारी चाहे तो कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्ती पर एक वर्ष तक बढाया जा सकता है।
- 2. सिचाई के कार्य आने वाले एच.ड़ी.पी.ई. पाईप एवं अन्य पाईप एवं संबंधित सहायक सामान (जोईंटर/ निपल इत्यादी) अनुबंधकर्ता के होंगें।
- 3. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आवश्यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है। निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समक्षा जावेगा।
- 4. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।
- 5. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदेष प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (undertaking) देना होगा की वे स्वंय रोजाना प्रभारी, फार्म अनुभाग / प्रतिनिधि से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी अधिकारी के दिशा -निर्देशानुसार सुचारू-रूप से करते रहेगें ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राषि को भी जब्त किया जा सकता हैं।
- 6. अनुबन्ध की अविध के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
- 7. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख-रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESIइत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राषि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
- 8. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय-समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी.एस.टी./आयकर एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
- 9. ठेकेदार को अनुबन्ध की अविध में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजद्री अधिनियम के तहत समय-2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
- 10. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय-पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय-पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर उद्यान अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय-पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान-पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
- 11. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षितिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अवश्यक करवा लें।
- 12. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
- 13. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
- 14. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
- 15. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अविध व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
- 16. इस अनुबंध में G.F.R., 2017 (Procurement of Goods and Services) में उपलब्ध नियम एवं भारत सरकार के इस अनुबंध से संबंधित नियम भी लागु होगें।
- 17. वित्तिय निविदा में दरें भरने से पूर्व इस अनुबंध में दिये गये स्थान, क्षेत्र पर कराये जाने वाले सभी कार्यों के लिये यहां आकर संबंधित अनुभाग प्रभारी से जानकारियां ले लेवें या उन स्थानों का अपने स्तर पर अवलोकन कर लेवें। इसकी जानकारियां दुरभाष सं -01437-220160 द्वारा भी प्राप्त की जा सकती हैं।

- 18. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
- 19. सफल ठेकेदार को 500/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
- 20. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी एक / सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
- 21. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट <u>www.cswri.res.in</u> & e-procure.gov.in पर उपलब्ध हैं।

Chapter III- General Terms & Conditions

- 1. Tenderers are advised to go through all the points mentioned in the terms and conditions of tender carefully before submitting the tender document. Incomplete/unsigned/conditional tenders will be summarily rejected and no correspondence will be entertained in this regard.
- 2. Before submission of the tender, the tenderer/contractor may inspect/visit the farm area site and get acquainted himself with reference to conditions and to nature of work required to be performed/executed at this Institute to avoid any ambiguity or confusion.
- 3. The contract will be awarded to the lowest quotee based on the rates quoted by the firm in. In case, the institute finds that the rates quoted by the tenderer is not sufficient to cover the cost of engaging minimum number of at minimum wages along with other statutory requirement as specified by Govt. of India for Agricultural Sector the institute will reject such tenders. In case of two or more tenders quote same rates the tenderer having experience in relevant work will be given preference.
- 4. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reason.
- 5. If successful tenderer does not accept the offer within 15 days, after issuance letter of award the offer will stand withdrawn & earnest money will be forfeited, and no correspondence will be entertained in this regard.
- 6. The successful firm will have to sign an agreement (format will be provided by the institute with offer) on non-judicial stamp paper of appropriate value not less than **Rs. 500/-** along with the **Security Deposit** @ **5** % of contract value in form of Account Payee Demand Draft/banker's Cheque or Bank Guarantee / FDR/TDR in favour of ICAR Unit CSWRI, Avikanagar within 15 days after issue of letter of award. It is clarified that no interest on security deposit shall be payable and security deposit money will be refundable only after the expiry/ termination of the contract period and adjusting the dues and /or forfeiture if any.
- 7. The contract will be awarded initially for a period of one year and thereafter will be extendable up to one more year, subject to the satisfactory performance, on the same terms & conditions.
- 8. The firm will be disqualified and black listed and security deposit forfeited, if it is found that they sublet the contract, wholly or partially, during the period of the contract. A register for complaint /surprise/routine checks shall be maintained by the contractor which may also be inspected by authority of institute.
- 9. All the deployed workers must be in sound health, between 18-60 years of age. The firm should submit police verification/ fitness certificate for each deployed worker and issue them an identity card as well as appropriate uniform at the cost of contractor.
- 10. It will be the responsibility of the firm to look after the health and welfare of the personnel deployed as per the statutory requirements and rules. Such records would be maintained in registers and should be produced as and when demanded by the Institute.
- 11. The contractor shall maintain a register of complaint/work and duties performed which shall be verified by the institute.
- 12. **PENALTY CLAUSE: LIQUIDATED DAMAGES CLAUSE**: Any loss/damage occurred by the Firm/Firm to the Institute property during the transaction/currency of the contract, the clause liquidated damages for **Rs.500/-** per day shall be imposed, if the Firm fails to replace/rectify the damage/loss within a week. In case of any of the above contingencies, the First Party shall have the right to terminate this agreement forthwith without notice and recover aforesaid amount for security deposit and shall not be liable to any

- damages and/ or loss, which may be suffered by the agency on account of termination of this agreement. The same shall be without any financial implication on part of the First Party. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
- 13. If the contractor does not discharge his duties up to the satisfaction of HOD Animal Nutrition Division, the contract will be terminated before expiry period and the security money will be forfeited.
- 14. In case any problem arises on account of non-compliance of any statutory Law, the sole responsibility will be on the concerned firm. The Institute will not be responsible for any liability in this regard.
- 15. If any loss is incurred to the institute due to negligence or malafied intentions of the firm or any of its employees, the firm will make good the losses incurred to institute. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
- 16. The firm must abide by all the Labour Laws in vogue for which the responsibility will solely be lying on the concerned firm. The payment to labourers engaged by the firm must be as per minimum wages prescribed by the Govt. of India for Agricultural Sector through the bank transfer, on or before 7th day of following month. The details of the payment are to be submitted to the office for processing the bill.
- 17. The labourers engaged by the firm will have no claim for any regular employment in the Institute/ICAR at any point of time, as this arrangement is purely on the contractual basis between the Institute and the firm.
- 18. In case of any accident/loss of life of the worker during discharging duties, all the liabilities/ compensation shall be borne by the firm and ICAR-CSWRI, Avikanagar shall not have responsibility in this regard.
- 19. The firm must submit proof of depositing the EPF and ESIC contributions along with the name and account numbers of the deployed labour and Challan of the deposited GST for the billing period (if applicable).
- 20. The bill in triplicate for work carried out in billing period is to be submitted in the Office for claiming the monthly payment through a Coordinator appointed by the Institute. No part payment request would be entertained.
- 21. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserve the right to review the performance whenever felt necessary also to terminate the contract at any point of time during the tenure of contract in case the performance and service rendered by firm are found to be unsatisfactory, without giving any prior notice. The decision of Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar shall be final and binding on the contractor.
- 22. Contract can also be terminated at any point of time if the above mentioned work is no more required. Contract cannot be terminated by contractor firm before expiry of the contract period. **Violation would invite forfeiture of security deposit.**
- 23. In the case of any dispute between the institute and the firm, the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will appoint an arbitrator within one month of the dispute, whose decision will be binding on both the parties, the legal jurisdiction will be Malpura only.
- 24. The TDS will be deducted as per Income tax extant rules.
- 25. The contractor or it's worker shall not misuse the premises allotted to them for any purpose other than for which contract is awarded.
- 26. The contractor/ his authorized representative shall report immediately whenever called by HOD/Iincharge sector on receiving telephone message to attend any complaint.
- 27. The Contractor firm or its partners/Directors should not been declared insolvent any time. Further they are not declared defaulters / black listed by any Bank/ Financial Institute/ State oriented Govt. organization, Autonomous body etc.

Administrative Officer (P)

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर तहसील—मालपुरा, जिला—टोंक, राजस्थान —304 501

क्रमांकः F.No.6(173)SP/2024 दिनांकः 01.01.2025

निविदा स्वीकारोक्ति पत्र (Tender Acceptance letter)

संस्थान के उद्यान अनुभाग के अधीन बागवानी से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों को वार्षिक अनुबन्ध / ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने बाबत

क्र. सं.	कार्य का विवरण	उधानिकी कार्यो का लगभग क्षेत्रफल / विवरण	दर की इकाई (जो अनुबंधकर्ता द्वारा BOQ में भरे जाने हैं)
1.	संस्थान परिसर के आवासीय क्षेत्र में लॉन, हैज किटंग़ का कार्य, सभी कार्यालय क्षेत्र के सामने सभी लॉन व नर्सरी क्षेत्र के सभी पार्को, रोड़ के किनारे लगे पौधों की किटंग, देख -रेख एवं सभी प्रकार की शस्य क्रियाए हैज, लोन, फूल वाले पौधों की देखरेख इत्यादि का कार्य (उपरोक्त अनुबंध कार्य पूर्ण करने के लिए प्रतिमाह कृषि व बागवानी उपकरणों के साथ लगभग न्यूनतम 130 मानव कार्य दिवस ± 20 से 25 मानव कार्य दिवस लगाने होंगे)	सम्पूर्ण संस्थान आवासीय व कार्यालयी परिसर एवं आस - पास के क्षेत्र	दर प्रतिमाह
2.	संस्थान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों जैसे - भेड़ मेला, संस्थान स्थापना दिवस, सेमिनार, विजिट, स्वन्त्रता दिवस, गणत्रंता दिवस पर पर किये जाने वाले कार्य (एक वर्ष में लगभग 07 समारोह)	एक वर्ष में लगभग 07 समारोह	
3.	हरे बड़े वृक्षों की पुर्निंग /हैवी लुपिंग/कटाई - छंटाई तथा तूफान या अंधड़ में गिरने वाले सूखे पेड़ों को हटाने का कार्य।	400 पेड़ / वृक्ष लगभग	दर प्रति पेड़/वृक्ष
4.	वर्षा ऋतु में संस्थान में सड़कों, कार्यालय भवनों के आस - पास खरपतवारों सफाई का कार्य (1) प्रथम सफाई: अगस्त/ सितम्बर माह (2) द्वितीय सफाई: नवम्बर/ दिसम्बर माह	प्रथम सफाई दुसरी सफाई	दर प्रति सफाई प्रथम दुसरी

यहां पर यह स्पष्ट किया जाता हैं कि यह कार्य अनुबंध हैं, अतः अनुबंधित कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा बिल से आन्पातिक राशि की कटौती की जाएगी।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली-भाँति पढ़ ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शायी गये सभी कार्यों का पूर्ण ज्ञान है। मैं दर्शायी गई दरों पर संस्थान के उद्यान अनुभाग के अधीन सभी प्रकार के बागवानी से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रेक्ट/जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा समय-समय उपरोक्त दर्शायी गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं प्रभारी, फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय-समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से कुशलता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राषि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय-समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली-भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अविध समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक -----

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

NON BLACKLISTING CERTIFICATE

[To be submitted on letterhead]

I/We hereby certify that the [Name of the company / firm] has not been ever blacklisted/ debarred by any Central / State Government / Public Undertaking / Institute on any account.

I/We also certify that firm will supply the item as per the specification given by ICAR-CSWRI, Avikanagar and also abide all the terms and conditions stipulated in Contract.

I/We also certify that the information given in bid is true and correct in all aspects and in any case at a later date it is found that any details provided are false and incorrect, contract given to the concern firm or participation may be summarily terminated at any stage, the firm will be blacklisted and ICAR-CSWRI, Avikanagar may imposed any action as per NIT rules.

Date:	Name:
Place:	Business Address:
	Signature of Bidder:
	Seal of the Bidder:

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर तहसील—मालपुरा, जिला—टोंक, राजस्थान —304 501

दिनांकः 01.01.2025

क्रमांकः F.No.6(173)SP/2024

वित्तीय निविदा प्रपत्र

संस्थान के उद्यान अनुभाग के अधीन बागवानी से संबंधित सभी प्रकार के कार्य करने हेतु वार्षिक अनुबन्ध की दर सभी करों एवं खर्ची सहित बीओक्यू सीट में प्रस्तुत करे।

		उधानिकी कार्यो का	दर की इकाई	कुल दर सभी करों एवं खर्चो सहित
क्र. सं.	कार्य का विवरण	लगभग क्षेत्रफल / विवरण		(अंको व शब्दों में)
1.	संस्थान परिसर के आवासीय क्षेत्र में लॉन, हैज किंट्ग का कार्य , सभी कार्यालय क्षेत्र के सामने सभी लॉन व नर्सरी क्षेत्रं के सभी पार्को, रोड़ के किनारे लगे पौधो की किंटिंग , देख -रेख एवं सभी प्रकार की शस्य क्रियाए हैज, लोन, फूल वाले पौधों की देखरेख इत्यादि का कार्य (उपरोक्त अनुबंध कार्य पूर्ण करने के लिए प्रतिमाह कृषि व बागवानी उपकरणों के साथ लगभग न्यूनतम 130 मानव कार्य दिवस ± 20 से 25 मानव कार्य दिवस लगाने होंगे)	सम्पूर्ण संस्थान आवासीय व कार्यालयी परिसर एवं आस - पास के क्षेत्र	दर प्रतिमाह	Rs
2.	संस्थान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों जैसे - भेड़ मेला, संस्थान स्थापना दिवस, सेमिनार, विजिट, स्वन्त्रता दिवस, गणत्रंता दिवस पर पर किये जाने वाले कार्य (एक वर्ष में लगभग 07 समारोह)	एक वर्ष में लगभग 07 समारोह		Rs
3.	हरे बड़े वृक्षो की पुर्निंग /हैवी लुपिंग/कटाई - छंटाई तथा तूफान या अंधड़ में गिरने वाले सूखे पेड़ों को हटाने का कार्य।	400 पेड़ / वृक्ष लगभग	दर प्रति पेड़/वृक्ष	Rs
4.	वर्षा ऋतु में संस्थान में सड़कों, कार्यालय भवनों के आस - पास खरपतवारों सफाई का कार्य (1) प्रथम सफाई: अगस्त/ सितम्बर माह (2) द्वितीय सफाई: नवम्बर/ दिसम्बर माह	प्रथम सफाई दुसरी सफाई	दर प्रति सफाई प्रथम दुसरी	Rs

नोट : अनुबन्ध सारणी क्रम संख्या 1 से 4 में दर्शाये गये कार्या हेतु ओवर आल न्यूनतम दर दाता को दिया जावेगा।

दिनांक	
	हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
	परा पता